राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

परियोजना समिति की 152 वीं बैठक का कार्यवाही विवरण

परियोजना समिति की 152 वीं बैठक माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान आवासन मण्डल की अध्यक्षता में दिनांक 19.07.2017 को सायः 3:00 बजे राजस्थान आवासन मण्डल के मण्डल कक्ष में आयोजित की गयी। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थेः–

1.	श्री उमेश कुमार, अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर	अध्यक्ष
2.	डॉ. के. बी. गुप्ता आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर	सदस्य
3.	श्रीमती इन्दिरा चौधरी, मुख्य नगर नियोजक नगर नियोजन विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर।	सदस्य
4.	श्री के. सी. मीना, मुख्य अभियन्ता–प्रथम व मुख्य अभियन्ता (मु.) राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।	सदस्य
5.	श्री जी.एस. बाघेला, मुख्य अभियन्ता–द्वितीय राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।	सदस्य
6.	श्री नत्थु राम, अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता–प्रथम राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।	सदस्य
7.	श्री के. के. माथुर, अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता–द्वितीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जोधपुर।	सदस्य
8.	श्री वी. के. माथुर, अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता–तृतीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।	सदस्य
9.	श्री मृणाल जोशी, अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।	सदस्य–सचिव
10.	श्री भंवर सिंह राजपुरोहित उप नगर नियोजक राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।	–

सदस्य सचिव द्वारा अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक की कार्यवाही सभी उपस्थित सदस्यों व अन्य अधिकारियों का स्वागत करते हुये प्रारम्भ की गयी। समिति द्वारा एजेण्डा पर चर्चा पश्चात सर्वसम्मति से निम्नानुसार बिन्दुवार निर्णय लिये गये:–

1	एजेण्डा बिन्दु	इन्दिरा गांधी नगर (विस्तार) योजना की आवाप्त भूमि के बदले दिये जाने वाले 5 प्रतिशत व्यावसायिक भूखण्डों एवं 20 प्रतिशत आवासीय भूखण्डों में से शेष रहे भूखण्डों के नियोजन बाबत्। (एजेण्डा नं 3)
	निर्णय	**समिति द्वारा विचार विर्मश पश्चात एजेण्डा प्रस्ताव अनुसार प्रस्तावित व्यावसायिक भूखण्डों को अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया।**
2	एजेण्डा बिन्दु	स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत निर्मित मध्यम आय वर्ग–अ (एस+11) 440 फ्लैट्स गोमती अपार्टमेन्ट, सैक्टर–18, प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर में विद्युत सप्लाई हेतु भूमि चिन्हित करने एवं कार पार्किंग नियोजन हेतु। (एजेण्डा नं 4)
	निर्णय	**समिति द्वारा विचार विर्मश पश्चात प्रस्तुत एजेण्डा अनुसार प्रकरण का अनुमोदन किया गया।**
3	एजेण्डा बिन्दु	ग्राम शिवबाड़ी आवासीय योजना का पुनर्नियोजन करने बाबत्। (एजेण्डा नं 6)
	निर्णय	**समिति द्वारा विचार विर्मश पश्चात निर्णय लिया गया कि खातेदारों को मुआवजे स्वरूप दिये जाने वाले व्यावसायिक भूखण्डों को प्रत्येक दो सेक्टर में एक साथ ब्लॉक बनाते हुए व्यावसायिक भूखण्डों का पुनः नियोजन किये जाने का निर्णय लिया गया।**
4	एजेण्डा बिन्दु	मण्डल की आवासीय योजना ग्राम बन्दापुर, फलसा, भूडली व डुलेपुर, तहसील तिजारा, जिला अलवर योजना के खातेदारों को व्यावसायिक 5 प्रतिशत विकसित भूखण्डों के नियोजन के अनुमोदन हेतु। (एजेण्डा नं 13)
	निर्णय	**समिति द्वारा विचार विर्मश पश्चात निर्णय लिया गया कि निम्न संशोधन के साथ शेष योजना को प्रस्तावानुसार यथावत रखते हुए ग्राम फलसा में खातेदारों को दिये जाने वाले 5 प्रतिशत व्यावसायिक भूखण्डों को प्रस्तावित किये गये स्थल के स्थान पर ग्राम भूडली में खातेदारों को दिये जाने वाले 5 प्रतिशत व्यावसायिक भूखण्डों हेतु प्रस्तावित किये गये स्थल के पास ही ग्राम फलसा में नियोजित किये जाये।**

शेष–17 प्रकरणों पर समयाभाव के कारण विचार–विर्मश नही किया गया है। इन पर आगामी बैठक में विचार किया जायेगा।

अन्त में बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

(नृणाल जोशी)
अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक
सदस्य–सचिव,